तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
04.09.23	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील वादी ने प्रतिवादी संख्या 6 व 7 की तामील की द्वितीय प्रति मय डाक विभाग ट्रेकिंग रिपोर्ट के पेश की। जो शामिल मिशल की गई। बावजूद तामील के प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में बहस उभय पक्षकारान की सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत् ईस्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार कर वादपत्र डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। 04/09/23 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (कोटपूतली-बहरोड़/सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
132 / 2023	2023 / 243	03.08.2023	04.09.2023 (अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. धूड़ाराम पुत्र बोदूराम जाति जाट निवासी ग्राम करड़का तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

— वादी—

बनाम

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

1. बाबूलाल पुत्र पोखरराम
2. सुरेश पुत्र पोखरराम
3. झूमा देवी पत्नि पोखरराम
4. बसन्ती देवी पुत्री पोखरराम
5. सावित्री देवी पुत्री पोखरराम

   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम करड़का तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
6. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
7. शाखा प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

—प्रतिवादीगण—

8. श्रवण पुत्र बोदूराम
9. सोनी देवी पत्नि बोदूराम

   समस्त जाति जाट निवासीगण करड़का तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:38 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

—तरतीबी प्रतिवादीगण—

उपस्थित : –

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका, एड0 वादी।

श्री कानाराम पूनियां एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5

श्री जितेन्द्र कुमार गौड़ एड0 तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 9

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या–6

वादपत्र बाबत इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955)

––:: निर्णय ::––

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 556, 557, 679 कुल किता 3 कुल रकबा 2.56 हैक्टर तन् ग्राम करड़का पटवार हल्का करड़का तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है जो कि गलत है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 812, 813, 814, 815, 822, 823, 824 कुल किता 7 कुल रकबा 3.16 हैक्टर तन् ग्राम करड़का पटवार हल्का करड़का तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित हैं। जिसकी 1/12, 1/12 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 के नाम दर्ज चली आ रही है जो कि गलत है। यानि कुल 1/4 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 के नाम दर्ज चली आ रही है जो कि गलत है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1335, 1336, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342 कुल किता 7 कुल रकबा 12.57 हैक्टर तन् ग्राम चीपलाटा पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसकी 1/30, 1/30 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5 के नाम दर्ज चली आ रही है। यानि कुल 1/6 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5 के नाम दर्ज चली आ रही है। उपरोक्त वर्णित भूमियों पर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण, प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5 के नाम दर्ज भूमियों में से 1/2 हिस्से पर कदीम से काबिज काश्त चले आ रहे है। लेकिन उक्त भूमि प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5 के बुजुर्गान परिवर में बड़े होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:38 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उक्त भूमि प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5 के बुजुर्गान के नाम से चली आ रही है। जबकि मौके पर वादी, तरतीबी प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादीगण का 1/2, 1/2 **बराबर–बराबर** हिस्सा पर कब्जा काश्त है। वादी, तरतीबी प्रतिवादीगण ने उक्त भूमियों को काफी रूपये लगाकर समतल एवं उपजाऊ कर रखी है तथा सींव–डोल लगा रखी है तथा वादी, तरतीबी प्रतिवादीगण अपनी उक्त भूमियों की खातेदारी अपने नाम से दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी है। लेकिन उक्त भूमि की खातेदारी वादी, तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम नहीं होने के कारण वादी, तरतीबी प्रतिवादीगण को सख्त हकतल्फी हैं। वादी, तरतीबी प्रतिवादीगण सरकारी सहायता ऋण, अनुदान, किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह से वंचित हो रहे हैं एवं खातेदार काश्तकार को मिलने वाली सुविधाओं से वादी वंचित हो रहे है। वादी, तरतीबी प्रतिवादीगण ने अपने नाम से राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5 को कहा तो प्रतिवादीगण पहले तो आश्वासन देते रहे कि तुम्हारे नाम राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवा देगें, परन्तु अब भूमियों की बेतहाशा बढ़ती कीमते देखकर प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी पैदा हो गयी और अब दिनांक 24.07.2023 को प्रतिवादीगण ने बिल्कुल इन्कार कर दिया और वादी, तरतीबी प्रतिवादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एवं उपयोग–उपभोग में मजाहमत करने व जोर जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने एवं स्वयं का कब्जा करने एवं दीगर व्यक्ति को बेचान/अन्तरण करने की धमकी देने एवं राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कराने से इन्कार होने पर वादकारण पैदा होकर वाद करना आवश्यक हुआ है। अगर प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड का नाजायज फायदा उठाकर वादी, तरतीबी प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा छीन लेगें या रहन व विक्रय आदि कर देगें तो इससे वादी, तरतीबी प्रतिवादीगण के विधिक हक हकूक जायल होगे तथा कृषि भूमि से महरूम हो जावेगें। अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ेगी ओर वादी, तरतीबी प्रतिवादीगण को इस कद क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। इसलिये प्रतिवादीगण की उक्त गलत, अवैध, विधि विरूद्ध एवं मनमानी कार्यवाही को वादी स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है तथा न्यायहित में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अति–आवश्यक है। वाद कारण दि. 24.07.2023 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी, तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दुरूस्त कराने से इन्कार होने व वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एवं उपयोग–उपभोग में मजाहमत करने एवं वादी, तरतीबी प्रतिवादीगण को बेदखल करने एवं दीगर को अन्तरण करने धमकी देने पर उत्पन्न हुआ है व लगातार हो रहा है। इस प्रकार वादी ने कृषि भूमि खसरा नम्बर 556, 557, 679 कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:38 IST
Reason: SelfAttested

किता 3 कुल रकबा 2.56 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम करडका पटवार हल्का करडका तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादीगण को 1/2 हिस्से का व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 को 1/2 हिस्से का यानि वादी एव तरतीबी प्रतिवादीगण प्रत्येक को 1/6. 1/6 हिस्से का एव प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 को 1/6 – 1/6 हिस्से का, कृषि भूमि खसरा नम्बर 812, 813, 814, 815, 822, 823, 824 कुल किता 7 कुल रकबा 3.16 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम करडका पटवार हल्का करडका तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि का वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को यानि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण प्रत्येक को 1/24 – 1/24 हिस्से का व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 को 1/24 – 1/24 हिस्से का, कृषि भूमि खसरा नम्बर 1335, 1336, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342 कुल किता 7 कुल रकबा 12.57 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम चीपलाटा पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि का वादी एवं तरतबी प्रतिवादीगण को यानि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण प्रत्येक को 1/36 – 1/36 हिस्से का व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5 को 1/60 – 1/60 हिस्से काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने एवं प्रतिवादीगण जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने हेतु निवेदन किया।

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक व साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये, बावजूद तामिल हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से श्री कानाराम पूनियां एड0 एवं तरतीबी प्रतिवादीगण 8 व 9 की ओर से श्री जितेन्द्र कुमार गौड एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। वकील वादी ने उपस्थित होकर पक्षकारान की ओर से राजीनामा पेश किया। उपस्थित वादी की पहचान वादी वकील श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका एड0 ने की एवं उपस्थित प्रतिवादी संख्या 2 की पहचान श्री कानाराम पूनियां एड0 ने की। उपस्थित पक्षकारा[illegible] राजीनामा पढकर सुनाया गया। जिसे पक्षकारान ने सुन व समझकर [illegible] तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से ईकबाली [illegible] पेश कर वादी का वादपत्र स्वीकार किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:38 IST
Reason: SelfAttested

जिस पर वकील वादी ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। हमने प्रकरण मे राजीनामा होने व ईकबाली जवाब पेश होने से तनकीयात कायम नही की जाकर सीधे ही वकील उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला आधार जमाबंदी संवत् 2074–2077 एवं राजीनामा व ईकबाली जवाब इत्यादि का अवलोकन किया गया। तथा उक्त भूमि वादी, प्रतिवादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण की पैत्रिक कृषि भूमि होना प्रकट होता है। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा 556, 557, 679 कुल किता 3 कुल रकबा 2.56 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम करड़का पटवार हल्का करड़का तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्से पर व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 का 1/2 हिस्से पर यानि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/6 – 1/6 हिस्से पर एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 का 1/6 – 1/6 हिस्से पर, इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 812, 813, 814, 815, 822, 823, 824 कुल किता 7 कुल रकबा 3.16 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम करड़का पटवार हल्का करड़का तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि पर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण का यानि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण प्रत्येक को 1/24 – 1/24 हिस्से पर व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 का 1/24 – 1/24 हिस्से पर, इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 1335, 1336, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342 कुल किता 7 कुल रकबा 12.57 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम चीपलाटा पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि पर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण का यानि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/36 – 1/36 हिस्से पर व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5 का 1/60 – 1/60 हिस्से पर कब्जा काश्त होना प्रतित होता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर राजस्व अभिलेख में दुरूस्त किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया [illegible] न्यायोचित प्रतीत होता [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:38 IST
Reason: SelfAttested

—:: [illegible] आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी [illegible] वाद बाबत् इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 556, 557, 679 कुल किता 3 कुल रकबा 2.56 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम

करडका पटवार हल्का करडका तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 8 व 9 को 1/2 हिस्से का व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 को 1/2 हिस्से का यानि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 8 व 9 प्रत्येक को 1/6 – 1/6 हिस्से का एव प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 को 1/6 – 1/6 हिस्से का, इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 812, 813, 814, 815, 822, 823, 824 कुल किता 7 कुल रकबा 3.16 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम करड़का पटवार हल्का करड़का तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 के नाम दर्ज भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि का वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 8 व 9 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है यानि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 8 व 9 प्रत्येक को 1/24 – 1/24 हिस्से का व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 को 1/24 – 1/24 हिस्से का, इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 1335, 1336, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342 कुल किता 7 कुल रकबा 12.57 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम चीपलाटा पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5 के नाम दर्ज भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि का वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 8 व 9 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है यानि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण प्रत्येक को 1/36 – 1/36 हिस्से का व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5 को 1/60 – 1/60 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

04/09/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 04.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/09/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:38 IST
Reason: SelfAttested